अनुसूची 14 –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तैक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख 14/12/17 से 05/08/19 तक

जिला–राँची, दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–30 सन्–2017–18।

वाद का प्रकार–**दाखिल खारिज अपील**

अर्जीकार–सहदेव महतो वगैरह प्रतिपक्षी–अंचल अधिकारी, बुण्डू।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
05/08/19		

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–सहदेव महतो वो नकुल महतो, दोनों के पिता–स्व० लखन महतो, ग्राम–डमारी, पो०+थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–26 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–28/07/2017 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
डमारी	बुण्डू	0016	49	51	6.5 डिसमील

अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन में कहते हैं कि–

1. अपीलार्थी ने उपरोक्त भूमि जीवलाल महतो, पिता–स्व० राम नाथ महतो, ग्राम–डमारी, पो०+थाना–बुण्डू, जिला–राँची से निबंधन पट्टा द्वारा दिनांक–03/03/2014 को खरीदकर उक्त भूमि पर दखलकार है।
2. अपीलार्थी ने पंजी।।/जमाबन्दी लेजर में अपना नाम दर्ज करने हेतु अंचल अधिकारी, बुण्डू के समक्ष आवेदन दिया जिसे नामांतरण मुकदमा सं०–26 R27/2017-2018/बुण्डू के रूप में पंजीकृत किया गया। जिसे आवेदक की अनुपस्थिति में अस्वीकृत कर दिया गया।
3. आर०एस० खाता नं०–49, प्लॉट नं०–51, रकवा–38 डी० भूमि लोकनाथ महतो, देवनाथ महतो पेशरान पोनु महतो एक हिस्सा बहिस्सा बराबर तथा शिवराम महतो पेशरान पारस नाथ महतो एक हिस्सा, जाति कोईरी साकिन देह के नाम से दर्ज है।
4. खतियानी रैयतों द्वारा आपसी सहमती से तथा मौखिक रूप से खतियान में उल्लेखित एवं सीमित सभी संपत्ति का बंटवारा कर लिया गया था और शिवराम महतो पिता पारस नाथ महतो को खाता सं० 49 अन्तर्गत प्लॉट नं० 51 रकवा 38 डिसमील भूमि मापी के पश्चात आवंटित की गयी।
5. शिवराम महतो उक्त भूमि पर दखलकार होकर अपने पीछे दो पुत्र जयनाथ महतो एवं रामनाथ महतो को छोड़कर स्वर्गवास हो गए। जयनाथ महतो अपने पीछे दो पुत्र सुधाम महतो एवं मोती महतो को छोड़कर स्वर्गवास हो गए तथा रामनाथ महतो अपने पीछे दो पुत्र बुद्धदेव महतो एवं जीवलाल महतो को छोड़कर स्वर्गवास हो गए।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित

6. सुधाम महतो, मोती महतो, बुद्धदेव महतो एवं जीबलाल महतो ने रकवा 38 डिसमील भूमि को आपस में बिना कोई बाधा के 9.5 डिसमील कर के बराबर–बराबर हिस्सा में बाँट लिया गया।
7. अंचल अधिकारी, बुण्डू द्वारा आवेदक के अनुपस्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अपीलार्थी की ओर से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–26 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–28/07/2017 को पारित आदेश की आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार सुनवाई की तिथि को आवेदक द्वारा विक्रेता का बंटवारानामा एवं वंशावली प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

अतः अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे विक्रेता का बँटवारानामा एवं सत्यापित वंशावली प्राप्त कर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 05/08/19
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

Sd/- 05/08/19
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।